उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

परिपत्रांक– सी– 78 /लेखा–1/ 2017–18 दिनांक 09.01.2018

समस्त शाखा प्रबंधक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, **अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण**
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि दिनांक 31.01.2018 को बैंक द्वारा नाबार्ड को देय किस्त मु0 403.00 करोड़ का भुगतान किया जाना है। इस हेतु आपके द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। शाखाओं द्वारा दैनिक वसूली को प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाने वाली धनराशि की समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय शाखाओं द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार दैनिक वसूली की धनराशि को प्रधान कार्यालय प्रेषित नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बैंक की देयताओं हेतु पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता अत्यन्त कठिन हो गई है।

अतः बैंक के परिपत्र संख्या–सी–23 /लेखा/2017–18 दिनांक 22.05.2017 को अवक्रमित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.01.2018 तक आपके द्वारा की गई दैनिक वसूली की शत–प्रतिशत धनराशि को अगले कार्य दिवस में प्रत्येक दशा में प्रधान कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाय। प्रधान कार्यालय के निर्देशो की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

दिनांक 31.01.2018 के पश्चात् अग्रेतर कार्यवाही हेतु पुनः निर्देश प्रेषित किये जायेगें।

ह0/–
(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से भी शाखाओं को सूचना देकर उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2. प्रबधक श्रेणी–2(आई0टी0सेल) ,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय लखनऊ को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।
3. प्राचार्य,(प्रशिक्षण केन्द्र),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।

ह0/–
(शैलेश आनन्द)
मुख्यवित्त एवं लेखाधिकारी